तारीख हुकम	कलावती वगैरा बनाम रामजीलाल वगैरा किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण संख्या – 35/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

29.06.2018

अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण उनवानी रामजीलाल बनाम कलावती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी दौसा सभी प्रकरणों मे लम्बि–लम्बि पेशी तारीख देते हैं परन्तु इस प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीया दी जा रही है। मूल नामान्तरकरण को तलब किये बगैर ही उनवानी प्रकरण की बहस सुनने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 उपखण्ड अधिकारी दौसा पर राजनैतिक दबाव दिलाकर अपने पक्ष में फैसला करवाने पर उतारू है। इसलिए प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अतः प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्व में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा मे विचाराधीन था। जिसको अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया था। जिस पर उक्त उनवानी प्रकरण को निर्णय दिनांक 21.02.2018 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में पेशी दिनांक 20.04.2018, 11.05.2018 एवं 18.05.2018 नियत की गई थी। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा पुनः पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा पर मिथ्या आरोप लगाया जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है इस प्रकार प्रार्थीगण का मूल उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में देरी कर लम्बित रखना एवं अप्रार्थीगण को परेशान करना है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किये जाने हेतु उचित कारण नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा विचारधीन उनवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम कलावती वगैरा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर
दौसा